न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :–157/2017

निर्णय दिनांकः–09.04..2018

उनवान

सीताराम पुत्र मोती उम्र 50 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी डांगरथल तहसील निवाई जिला टोंक

–प्रार्थी

बनाम

1. कालूराम पुत्र मोती जाति ब्राह्मण निवासी डांगरथल तहसील निवाई जिला टोंक
2. देव पुत्री मोती जाति ब्राह्मण निवासी डांगरथल तहसील निवाई जिला टोंक
3. तहसीलदार निवाई
4. उपपंजीयक निवाई
5. लक्ष्मी देवी पत्नि दयाराम जाति माली नि. कनेसर वालों की ढाणी, डांगरथल त. निवाई

–प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री मो. सलीम वकील प्रार्थी

श्री रामावतार शर्मा वकील प्रतिपक्षीगण 1ता2 व 5

निर्णय

वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त आराजीयात ख.नं. 325/6 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम डांगरथल तह. निवाई में स्थित है। जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी बहामी बंटवारे अनुसार बौते जौते चले आ रहे है। अप्रार्थी सं. 2 का विवाह हो जाने की वजह से उसका मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं था और न ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार सन् 2005 से पहले खोले गये फोती नामांतकरण में बहिनों को भाईयों के बराबर नामांतकरण खुलवाने का अधिकार नहीं था ऐसी परिस्थिति में उक्त नामांतकरण जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम खुला वह अवैध था जो शून्यकरणीय है तथा मौके पर भी अप्रार्थी सं. 2 का कोई कब्जा काश्त नही था अप्रार्थी सं. 1 व 2 की उक्त भूमि को बराबर बराबर बौते जौते चले आ रहे थे लेकिन विधिवत विभाजन नहीं होने की वजह से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य उक्त भूमि की सीमाओं को लेकर आये दिन विवाद की स्थिति बनी रहती थी तथा उक्त भूमि में देव का नाम गलत रूप से खातेदारी में अंकित होने की वजह से उक्त हिस्से 1/6 हिस्से की भूमि का प्रार्थी अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। अतः प्रा.पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ता फैसला वाद पाबन्द किया जावे कि ख.नं. 325/6 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम डांगरथल तह. निवाई का 1/6 हिस्से का खातेदार प्रार्थी को घोषित नहीं किया जाता है एवं मौके कब्जे अनुसार तकासमा होकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं हो जाता उस समय तक अप्रार्थीगण उक्त भूमि को रहन दान बेचान बक्सीस नहीं करे तथा अप्रार्थी सं. 3 भूमि को मौके व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे। अप्रार्थी सं. 4 उक्त भूमि से संबंधित किसी दस्तावेज का पंजीयन नहीं करें ता–फैसला वाद पाबन्द रहें।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई, जिला टोंक

Scanned by CamScanner

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षीगण 1 ता 2 की ओर से श्री रामावतार शर्मा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थीया/प्रतिपक्षीया लक्ष्मी देवी की ओर से श्री रामावतार शर्मा एड0 ने प्रा.पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी मय वकालतनामा पेश किया। वकील प्रार्थी की ओर से प्रा.पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का जवाब पेश किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी जाकर प्रा.पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय मूल वाद में लिखा गया। प्रार्थीया/प्रतिपक्षीया लक्ष्मी देवी को अप्रार्थी सं. 5 के रूप में लाल स्याही से जोडा गया। वकील प्रतिपक्षी सं. 1ता2 व 5 की ओर से जवाब प्रा.पत्र पेश किया गया कि ख.नं. 325/6 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम डांगरथल में स्थित होना तथा उक्त भूमि को बहामी बंटवारे अनुसार मौके पर काश्त करते चले आना स्वीकार है। अप्रार्थी सं. 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में भूमि 1/3 हक व हिस्से के अनुसार दर्ज इन्द्राज है जिसमें से मौके पर उसने 1/6 हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 को एवं 1/6 हिस्सा प्रार्थी को काश्त हेतु बता रखी थी इस कारण उक्त भूमि को मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 1 ने दो भाग कर 1/2–1/2 हिस्से अनुसार मौके पर काश्त करते चले आ रहे है आज भी मौके पर इसी अनुसार भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के कब्जे व अधिकार में चली आ रही है। अप्रार्थी सं. 1 ने अपना 1/3 हक व हिस्सा संपूर्ण 30.5.17 को ही एवं अप्रार्थी सं. 2 ने अपने 1/3 हक व हिस्से में से आधी भूमि अर्थात संपूर्ण भूमि में 1/6 हक व हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अप्रार्थी लक्ष्मी देवी पत्नि दयाराम के हक में बेचान कर उक्त भूमि का कब्जा काश्त अप्रार्थी लक्ष्मी देवी को सुपुर्द कर दिया था तब से उक्त भूमि के 1/2 हक व हिस्से पर अप्रार्थी लक्ष्मी देवी बतौर मालिक स्वामी भूमि को धारित कर मौके पर काश्त करती चली आ रही है। अतः जवाब प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रा. पत्र विशेष हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाया जावे। वकील प्रतिपक्षी की ओर प्रा.पत्र आदेश 39 नियम 3, 4 सीपीसी का पेश करने पर वकील प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र का जवाब पेश किया गया।

उभयपक्षों के विद्वान वकीलों की प्रा.पत्र आदेश 39 नियम 3, 4 सीपीसी व प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने प्रस्तुत प्रा0पत्र का दोहरान किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त आराजीयात ख.नं. 325/6 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम डांगरथल तह. निवाई में स्थित है। जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी बहामी बंटवारे अनुसार बौते जौते चले आ रहे है। अप्रार्थी सं. 2 का विवाह हो जाने की वजह से उसका मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं था और न ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार सन् 2005 से पहले खोले गये फोती नामांतकरण में बहिनों को भाईयों के बराबर नामांतकरण खुलवाने का अधिकार नहीं था ऐसी परिस्थिति में उक्त नामांतकरण जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम खुला वह अवैध था जो शून्यकरणीय है तथा मौके पर भी अप्रार्थी सं. 2 का कोई कब्जा काश्त नही था अप्रार्थी सं. 1 व 2 की उक्त भूमि को बराबर बराबर बौते जौते चले आ रहे थे लेकिन विधिवत विभाजन नहीं होने की वजह से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य उक्त भूमि की सीमाओं को लेकर आये दिन विवाद की स्थिति बनी रहती थी तथा उक्त भूमि में देव का नाम गलत रूप से खातेदारी में अंकित होने की वजह से उक्त हिस्से 1/6 हिस्से की भूमि का प्रार्थी अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ता फैसला वाद पाबन्द किया जावे कि ख.नं. 325/6 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम डांगरथल तह. निवाई का 1/6 हिस्से का खातेदार प्रार्थी को घोषित नहीं किया जाता है एवं मौके कब्जे अनुसार तकासमा होकर

उपखण्ड अधिकारी
निवाई, जिला टोंक

Scanned by CamScanner

राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं हो जाता उस समय तक अप्रार्थीगण उक्त भूमि को रहन दान बेचान बक्सीस नहीं करे तथा अप्रार्थी सं. 3 भूमि को मौके व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे। अप्रार्थी सं. 4 उक्त भूमि से संबंधित किसी दस्तावेज का पंजीयन नहीं करें ता–फैसला वाद पाबन्द रहें। वकील प्रतिपक्षी द्वारा बहस में जवाब प्रा.पत्र का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि ख.नं. 325/6 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम डांगरथल में स्थित होना तथा उक्त भूमि को बहामी बंटवारे अनुसार मौके पर काश्त करते चले आना स्वीकार है। अप्रार्थी सं. 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में भूमि 1/3 हक व हिस्से के अनुसार दर्ज इन्द्राज है जिसमें से मौके पर उसने 1/6 हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 को एवं 1/6 हिस्सा प्रार्थी को काश्त हेतु बता रखी थी इस कारण उक्त भूमि को मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 1 ने दो भाग कर 1/2–1/2 हिस्से अनुसार मौके पर काश्त करते चले आ रहे है आज भी मौके पर इसी अनुसार भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के कब्जे व अधिकार में चली आ रही है। अप्रार्थी सं. 1 ने अपना 1/3 हक व हिस्सा संपूर्ण 30.5.17 को ही एवं अप्रार्थी सं. 2 ने अपने 1/3 हक व हिस्से में से आधी भूमि अर्थात संपूर्ण भूमि में 1/6 हक व हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अप्रार्थी लक्ष्मी देवी पत्नि दयाराम के हक में बेचान कर उक्त भूमि का कब्जा काश्त अप्रार्थी लक्ष्मी देवी को सुपुर्द कर दिया था तब से उक्त भूमि के 1/2 हक व हिस्से पर अप्रार्थी लक्ष्मी देवी बतौर मालिक स्वामी भूमि को धारित कर मौके पर काश्त करती चली आ रही है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र विशेष हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षों की बहस का मनन व पत्रावली एवं दस्तावेजात का अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रतिपक्षी सं. 5 के पक्ष में करवाये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का नामांतकरण रूकवाने की दृष्टि से प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र पेश कर जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया है। साथ ही मूल वाद तकासमा का वाद है जिसमें पूर्व के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अतिरिक्त और भूमि का बेचान होता है तो तकासमा किये जाने में अन्य पक्षकार और जुडेंगे जिससे न्यायालय का अतिरिक्त समय बर्बाद होगा।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षीगण को ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि वादवर्णित भूमि ख.नं. 325/6 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम डांगरथल में विधिवत तकासमा होने तक मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रतिपक्षी सं. 5 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तहरीर व तकमील किया गया था, उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का नामान्तकरण खोले जाने की अनुमति दी जाती है।

यह निर्णय आज दिनांक 09.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

9/4/18

हरिकिशन कुमार आदित्य
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी निवाई

Scanned by CamScanner